पत्र सं०–6 एस०एस०(6) 32/2017– 120 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

मधुरानी ठाकुर,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक– 10 / 01 / 2018.

द्वारा:– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 88.50 लाख (₹ अठासी लाख पचास हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत 24 x 7 के आधार पर संचालित पशु चिकित्सालयों/पशु औषधालियों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा NADRS (National Animal Disease Reporting System) के तहत संस्थापित कम्प्यूटरों की मरम्मति एवं रख–रखाव की योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल ₹ 88.50 लाख (₹ अठासी लाख पचास हजार) मात्र की अनुमानित लागत व्यय पर राज्य स्कीम अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत 24 X 7 के आधार पर संचालित पशु चिकित्सालयों/पशु औषधालियों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा NADRS (National Animal Disease Reporting System) के तहत संस्थापित कम्प्यूटरों की मरम्मति एवं रख–रखाव की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशु चिकित्सा संवाएँ तथा पशु स्वाथ्य के तहत राज्य में अवस्थित पशु चिकित्सालयों/औषधालियों में संचालित 24 X 7 पशु चिकित्सा सेवा को बेहतर एवं कारगर बानने के उदेश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक सुविधाएँ यथा इन्वर्टर, बैट्री Water Purifier, फर्नीचर, अन्य आवश्यक विद्युतीय उपकरण एवं रात्रि–कालीन सेवा हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराकर पशु चिकित्सा सेवा को सुदृढ करना है ताकि पशुपालकों को प्रभावी ढंग से पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हो सके। इसके अलावा NADRS (National Animal Disease Reporting System) के तहत संस्थापित कम्प्यूटरों मरम्मति एवं बेहतर रख–रखाव हेतु राशि उपलब्ध कराकर रिपोर्टिंग सिस्टम को दुरूस्त करना है।

3. इस योजना के तहत संचालित 24 x 7 पशु चिकित्सा सेवा को सुलभ रूप से उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रति जिला ₹ 1.00 लाख मात्र की दर से कुल ₹ 38.00 लाख कार्यालय व्यय मद से तथा कम्प्यूटर के मरम्मति एवं रख–रखाव हेतु प्रति जिला ₹ 25000/– की दर से कुल 9.50 लाख अर्थात् कुल 47.50 लाख कार्यालय व्यय मद में तथा आवश्यक संयंत्रों के क्रय हेतु मशीने एवं उपस्कर मद में कुल ₹ 41.00 लाख रुपये संबंधित जिला को आवंटन के रूप में निदेशक, पशुपालन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

E\Sanjay Kumar,Yojna.\17-18\Govt. Order\24 x 7 Nandras\ 28-12-2017.

4. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के तहत होने वाल व्यय का विकलन मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उपमुख्य शीर्ष–00 –लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य मांग सं०–02 –उपशीर्ष–0101 –अस्पताल औषधालय तथा अन्यान्य स्थापना, विपत्र कोड 02-2403001010101 के तहत विभिन्न विषय शीर्ष–0101.13.01 –कार्यालय व्यय एवं 0101.52.01 –मशीनें एवं उपस्कर मद में प्रथम अनुपूरक आगणन एवं मूल उद्व्यय के रूप में प्राप्त तथा पुनर्विनियोग से प्राप्त होने वाली राशि से विकलनीय होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार, होंगे तथा निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री, निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी होंगे।

6. चुकि यह नई योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में इस योजना की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस० (6) 32/2017 के पृष्ठ–06/टि०।

7. निदेशक, पशुपालन का यह दायित्व होगा कि योजना में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संबंधित पदाधिकारियों को यथोचित दिशानिर्देश जारी करेंगे।

8. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है संचिका सं०–6 एस०एस० (6) 32/2017 के पृ० 6–7/टि० तथा डायरी सं०–02, दिनांक–02.01.2018.

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2017– 120 /पटना–15, दिनांक–10/01/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2017– 120 /पटना–15, दिनांक–10/01/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी कोषागार पदाधिकरी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2017– 120 /पटना–15, दिनांक–10/01/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2017– 120 /पटना–15, दिनांक–10/01/2018.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय बजट शाखा/पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा/लेखा शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

E\Sanjay Kumar,Yojna.\17-18\Govt. Order\24 x 7 Nandras\ 28-12-2017.

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2017– 120 /पटना–15, दिनांक–10/01/2018.
प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रवध निदेशक बेल्ट्रॉन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2017– 120 /पटना–15, दिनांक–10/01/2018.
प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी/विभागीय योजना शाखा–6 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/18
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6) 32/2017– 120 /पटना–15, दिनांक–10/01/2018
प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के आप्त सचिव/आई०टी० मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/1/18
सरकार के अपर सचिव

E\Sanjay Kumar,Yojna.\17-18\Govt. Order\24 x 7 Nandras\ 28-12-2017.

व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम अन्तर्गत पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत 24 x 7 के आधार पर संचालित पशु औषधालयों/चिकित्सालयों में आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा NADRS (National Animal Disease Reporting System) के तहत संस्थापित कम्प्यूटरों के मरम्मति एवं रख–रखाव की योजना पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

(राशि रुपये लाख में)

क्र०	विषय शीर्ष	योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	1	3	4	5
1	0101.13.01 –कार्यालय व्यय	47.50	सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।	सभी जिला कोषागार, बिहार।
2	0101.52.01 –मशीनें एवं उपस्कर	41.00		
	योग :–	88.50		
	रुपये (अठासी लाख पचास हजार)मात्र।			

(signature) 10/1/18
सरकार के अपर सचिव

120
10/01/18

E\Sanjay Kumar,Yojna.\17-18\Govt. Order\24 x 7 Nandras\ 28-12-2017.